न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 32/2019 (2019/00131) दर्ज दिनांक 01.03.2019

वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. नारू पिता मोती रेगर
2. मदन लाल पिता दल्ला रेगर
3. श्रीमती मंगनी बेवा दल्ला रेगर
4. नानू पिता डालू रेगर
5. गोपी लाल पिता डालू रेगर

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पिता तुलछा रेगर
2. मोहन पिता तुलछा रेगर
3. रामचन्द्र पिता तुलछा रेगर
4. हजारी पिता तुलछा रेगर
5. श्रीमती डाली बेवा गणेश रेगर
6. नंगजीराम पिता रामा रेगर
7. नाथू पिता राम रेगर
8. धापू बेवा रामा रेगर
9. मूला पिता मांगू रेगर
10. बेणा पिता पोखर रेगर
11. श्रीमती सुड़ी बेवा घीसा रेगर
12. शंकर पिता पन्ना रेगर
13. हीरालाल पिता पन्ना रेगर
14. श्रीमती गेंदी बेवा पन्ना रेगर
15. छोगालाल पिता केला रेगर
16. श्रीमती लाली बेवा केला रेगर
17. सोहनलाल पिता डालू रेगर

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगण– [illegible]

[illegible] सरकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–32/2019 (2019/00131)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

वाद पत्र बाबत् घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

दिनांक 29.06.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का सजरा निम्न प्रकार हैः–

मूल पुरूष
मोती

- नारू (जीवित)
- डालु (फौत)
  - नानू
  - गोपीलाल
  - सोहन
- दल्ला (फौत)
  - मदनलाल
  - मंगनी

उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष मोती के तीन पुत्र हुए जिनमें नारू जीवित है, डालू के तीन पुत्र नानू, गोपीलाल, और सोहन है तथा दल्ला के मदनलाल एवं श्रीमति मंगनी है जो प्रथम श्रेणी के वारिस होकर मूल पुरूष मोती के वारिस होकर इस वादपत्र में वादीगण है।

यह कि ग्राम गंगापुर के बेरून हल्के आबादी में मोती पिता उदा बोला के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की साबिक आराजियात खसरा नं0 11/1 रकबा एक बीघा चार बिस्वा स्थित थी जो जमाबंदी 2010 में अंकित है।

यह कि आगे क रोटेशन मे गैर कानूनी तरीके से व बिना किसी सक्षम न्यायालय में आदेश के उक्त नम्बरों की आराजीयात को नोला व तुलछा पिता गुमाना, गणेश पिता रोडा, किशना पिता उदा , जीवा पिता नंदा , मांगू व बेणा पिता पोखर, दोला पिता कुशाल रेगर के नाम दर्ज कर दी जबकि वाद वर्णित आराजियात पर कब्जा मोती के वारीसों का ही निरन्तर चला आ रहा है।

यह कि कस्बा गंगापुर का नवीन बन्दोबस्त हुआ उसमें साबिक आराजी नं0 11/1 के नवीन नम्बर 33, 34, 35 कायम हुये, तथा साबिक आराजियात संख्या 11/2 के व 11/1 के मिलाकर आराजी संख्या 26 रकबा 0.08 व आराजी संख्या 27 रकबा 0.08 हे0 कायम हुये जो तुलछा, रामा, पन्नालाल, केला के वारिसों के नाम दर्ज हो [illegible]त है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2018 एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगण मृतक मूलपुरूष मोती पिता उदा बोला के वारिस है व उनकी भूमियों पर काबिज है इसलिए उनके खाते की साबिक आराजी संख्या 11/1 व 11/2 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 26, 27, 33, 34, व 35 के खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है।

2.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–32/2019 (2019/00131)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

यह कि राजस्व रेकार्ड में गलत तरीके से नाम अंकित हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल कर सकते है या अन्य किसी को अंतरित कर सकते है तथा निर्माण करा मौके की स्थिति में तथा राजस्व रेकार्ड में तबदली कर सकते है इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री भी जारी कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के नाम भूमियां गलत रूप से अंकित हो जाने तथा प्रतिवादी संख्या 17 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया हैं तथ सोहनलाल पिता डालू वादी बनने को तैयार नहीं होने से प्रतिवादी बनाया हैं।

अतः वादीगण की सादर प्रार्थना हैं कि :–

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कस्बा गंगापुर के बेरून हल्के आवादी में स्थित आराजी संख्या 11/1 व 11/2 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 26 रकबा 0.08 हे0, 27 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 33 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 34 रकबा 0.07 हे0 व आराजी संख्या 35 रकबा 0.07 हे0 का वादीगण खातेदारकाश्तकार है।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण आराजी संख्या 26, 27, 33, 34 व 35 में किसी प्रकार की दखलनदाजी नहीं करें न अन्य को हस्तान्तरण करें न वादीगण को जबरन बेदखल करें, न वादीगण को उपयोग एवं उपभोग से वंचित करें न इन आराजियात में किसी प्रकार का कोई निर्माण करावें। मौके की एवं राजस्व रेकार्ड की स्थिति बनायी रखे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2019 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई साक्ष्यवादी में वादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये । वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में वादी नारू पिता मोती रेगर ने अपने बयान पी. डब्ल्यू – 1 लेखबद्ध करा मैने मुख्य परीक्षा का शपथ–पत्र पेश किया है। शपथ पत्र में अंकित तथ्य सही है। एवं मैंने हस्ताक्षर किये है। जमांबदी संवत् 2010–13 पेश की जो प्रदर्श –1 है। जमाबंदी 2018–21 प्रदर्श –2 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 है। जमाबंदी संवत् 2070–73 प्रदर्श –4 है।

वादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा साबिक आराजी नं0 1101 व 1102 के नवीन आराजी नं0 26, 27, 33, 34, 35 [illegible] काश्तकार घोषित होने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु आराजियात वर्तमान [illegible] 137 के खाता में दर्ज है जिससे वाद पत्र की कलम संख्या 13 प्रार्थना के निर्द [illegible] संशोधन चाहा गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में [illegible] खातेदारी अधिकार की इस आशय की जारी फरमायी जावे कि पटवार हल्का गंगापुर के [illegible]मान के खाता संख्या 137 में दर्ज आराजियात किता 11 रकबा 1.67 हे0 में से 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जिससे उपरोक्त खाते की आराजियात वादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से , वादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/12 हिस्से एवं वादी संख्या 4 व 5 एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम 1/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned with CamScanner

हिस्से से दर्ज किये जाने की डिक्री जारी फरमायी जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर बाद बहस एवं अवलोकन के वादी का प्रार्थना पत्र वाद पत्र का अंग होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता हैं एवं उक्त प्रार्थना पत्र को वाद पत्र के साथ संलग्न करने का आदेश दिया जाता हैं

उक्त प्रकरण पर बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादीगण के पूर्वज मोती जी का नाम राजस्व रेकार्ड से बिना किसी आधार के हटा दिया गया है जिसे वर्तमान खाता में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 17 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने व खातेदार काश्तकार घोषित करवाना न्यायेचित है।

वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 कुल चार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। पेरोकार सरकार ने उक्त बहस एवं वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहीर की है।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों, प्रस्तुत बहस के अवलोकन पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को कस्बा गंगापुर के बेरून हल्के आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 137 में अंकित आराजियात किता 11 रकबा 1.67 हे0 में 1/4 हिस्से से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमियां वादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से से वादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/12 हिस्से से 4 व 5 एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4.

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 32/2019 (2019/00131) दर्ज दिनांक 01.03.2019

वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. नारू पिता मोती रेगर
2. मदन लाल पिता दल्ला रेगर
3. श्रीमती मंगनी बेवा दल्ला रेगर
4. नानू पिता डालू रेगर
5. गोपी लाल पिता डालू रेगर

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. गिरधारी पिता तुलछा रेगर
2. मोहन पिता तुलछा रेगर
3. रामचन्द्र पिता तुलछा रेगर
4. हजारी पिता तुलछा रेगर
5. श्रीमती डाली बेवा गणेश रेगर
6. नंगजीराम पिता रामा रेगर
7. नाथू पिता राम रेगर
8. धापू बेवा रामा रेगर
9. मूला पिता मांगू रेगर
10. बेणा पिता पोखर रेगर
11. श्रीमती सुड़ी बेवा धीसा रेगर
12. शंकर पिता पन्ना रेगर
13. हीरालाल पिता पन्ना रेगर
14. श्रीमती गेंदी बेवा पन्ना रेगर
15. छोगालाल पिता केला रेगर
16. श्रीमती लाली बेवा केला रेगर
17. सोहनलाल पिता डालू रेगर

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीगण– श्री संतोष कुमार पारीक

पेशकार सरकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः–32 / 2019 (2019 / 00131)
वाद– अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

डिक्री दिनांक 29.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पारीक एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 29.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ---×--- और इस वाद के खर्च लेखे ----×--- रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ----×------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ----×------ द्वारा ----×------ को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को कस्बा गंगापुर के बेरून हल्के आवादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 137 में अंकित आराजियात किता 11 रकबा 1.67 हे0 में 1/4 हिस्से से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमियां वादी संख्या 1 के नाम 1/12 हिस्से से वादी संख्या 2 व 3 के नाम 1/12 हिस्से से 4 व 5 एवं प्रतिवादी संख्या 17 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 29.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0) 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner